

124/2017 मनीषाई आदि - एकादश सिद्ध आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
8.2.22	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रजिस्टर्ड की तामील शेष है। इस हेतु अपील शेष रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें, जो रजिस्टर्ड में पेश हो। तब अपील का पीठासीन अधिकारी महोदय को पत्रावली पेश की जायेगी दिनांक 23.2.22 को पेश हो।</p> <p><i>206</i></p>
24.5.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 23.10.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 23.10.22 को पेश हो।</p>
30.8.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 28.8.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.8.22 को पेश हो।</p>
29.11.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.11.22 को पेश हो।</p>
8.3.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.6.22 को पेश हो।</p>
20.6.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 6.7.22 को पेश हो।</p>
11.7.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 6.7.22 को पेश हो।</p>
06.7.22	<p>पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रजिस्टर्ड नोटिस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील/रेसपो. के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेसपो. अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेसपो. आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर में कम होकर बाद तरतीब तकमील दायित्व टफर हो।</p>

*Zajun*

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजरव अपील अधिकारी  
सांकर